(3)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

**GCMS NO.-2025/333**

मिसल नम्बर– 49 / 2025

1.चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र दीपचन्द जैन उम्र 71 वर्ष
2.मंजूलता पत्नी चन्द्रप्रकाश जैन उम्र 66 वर्ष निवासीगण 365 रिद्धी सिद्धी नगर प्रथम बून्दी रोड, कुन्हाडी कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.मयंक जैन पुत्र चन्द्रप्रकाश आयु 42 वर्ष निवासी 365 रिद्धी सिद्धी नगर प्रथम बून्दी रोड़ कुन्हाड़ी कोटा राज0
2.मोनिका जैन पत्नी मयंक जैन पुत्री स्व0 विमलचन्द जैन आयु 38 वर्ष निवासी 365 रिद्धी सिद्धी प्रथम बून्दी रोड कुन्हाड़ी कोटा राज0
3.थानाधिकारी महोदय, थाना कुन्हाड़ी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 1.8.2026

उपस्थितिः–
1.श्री रोहित सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.श्री दिपीका रावत अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1
3.श्री सौरभ सुमन अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 2

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1, 71 वर्षीय एवं प्रार्थी संख्या 2, 66 वर्षीय है जो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। प्रार्थीगण मकान नं0 365 रिद्धी सिद्धी नगर प्रथम बून्दी रोड़ कुन्हाड़ी कोटा पर निवास करते है। उक्त मकान प्रार्थीगण के बड़े पुत्र मनीष जैन का है जो अपने परिवार के साथ हांगकांग में निवासरत है। प्रार्थीगण अपने बडे पूत्र मनीष जैन के उक्त मकान में निवासरत है तथा प्रार्थीगण के छोटे पुत्र मयंक जैन एवं उसकी पत्नी मोनिका जैन को प्रार्थीगण की देखभाल एवं वृद्धावस्था में प्रार्थीगण की सेवा सुश्रृषा करने की शर्त पर प्रार्थीगण के कहने से प्रार्थीगण के बडे पुत्र मनीष जैन द्वारा उक्त मकान में प्रार्थीगण के साथ रहने की अनुमति, प्रार्थीगण की देखभाल एवं सेवा सुश्रृषा करने की शर्त पर दी गई थी। प्रार्थीगण प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन जो प्रार्थीगण के छोटे पुत्र प्रतिपक्षी संख्या 1 मयंक जैन की पत्नी है उसके द्वारा प्रार्थीगण के साथ निरन्तर लडाई झगडा एवं दुव्यवहार किया जाता रहा है। प्रार्थीगण की सेवा सुश्रूषा एवं देखभाल करना तो दूर उल्टा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वह प्रार्थीगण के साथ निरन्तर लड़ाई झगड़ा, गाली गलौच एवं दुर्यवहार के क्रूरतापूर्ण कृत्य करते हुये मकान के फर्स्ट फ्लोर पर लम्बे समय से अपनी अलग रसोई करके निवास कर रही है जबकि प्रार्थीगण ग्राउण्ड फुलोर पर निवास कर रहे हैं जो आपनी इस वृद्धावस्था में भी अपना खाना पीना एवं अन्य सभी काम स्वयं करते हैं। मोनिका जैन द्वारा मकान के ग्राउण्ड फूलोर पर अपना व्यूटी पार्लर भी संचालित किया जाता है। मोनिका जैन, प्रार्थीगण के साथ आयेदिन लडाई झगडा, गाली गलौच एवं मारपीट तक करती है तथा प्रार्थीगण की ओर जूते चप्पल फेंककर मारती है तथा प्रार्थीगण से उक्त मकान जो उनके बडे पुत्र मनीष जैन का है उसे भी मोनिका जैन द्वारा स्वयं के नाम पर रजिस्ट्री करवाकर उसके नाम करने या उसे 50 लाख रूपये नगद देने का दबाव बनाया जाता है तथा निरन्तर प्रार्थीगण को झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जाती है। प्रार्थीगण का छोटा पुत्र मयंक जैन मिर्गी का रोगी है जो अक्सर बीमार रहता है उसके साथ भी मोनिका द्वारा मारपीट की जाती है जिससे भयभीत होकर वह भी मोनिका जैन द्वारा प्रार्थीगण के साथ किये जाने वाले दुर्वहार का मूकदर्शक बना रहता है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण के उक्त क्रुरतापूर्ण आचरण एवं शारीरिक एवं मानसिक प्रताडना से पीडित होकर वृद्धावस्था में अपने मकान में भयाक्रान्त होकर जीवन यापन कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में पूर्व में भी पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा को लिखित में शिकायत दी गई थी जिनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिको का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मिसल नम्बर 53/2024 (GCMS NO- 2024/183) बउनवान चन्द्रप्रकाश जैन एवं मन्जूलता जैन बनाम मोनिका जैन एवं थानाधिकारी महोदय थाना कुन्हाडी कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था उसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2025 प्रार्थीगण के पक्ष में पारित करते हुये प्रतिपक्षी मोनिका जैन एवं थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा को प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करने, ना ही झूंठे मुकदमें में फंसाने और उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित नहीं करने तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था परन्तु इसके बावजूद भी प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन द्वारा प्रार्थीगण के साथ निरन्तर क्रूरतापूर्ण व्यवहार कर प्रार्थीगण को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है एवं आयेदिन प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा व गाली गलौच करती है तथा उन्हें जान से मारने एवं झूंठे मुकदमें में फंसाकर जेल में डलवा देने की धमकियां देती है। प्रार्थीगण दिनांक 03.05.2025 को अपने बडे पुत्र के यहां हांगकाग गये थे जहां से दिनांक 18.05.2025 को वापस कोटा लौटे तो प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन ने मकान का दरवाजा नहीं खोला, प्रार्थीगण घन्टो तक घर के बाहर ही बैठे रहे इसके पश्चात बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलने पर मोनिका जैन ने प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच की और प्रार्थीगण को अपना सामान लेकर मकान से निकल जाने को कहा। प्रार्थीगण के काफी अनुनय विनय करने पर उसने बडी मुश्किल से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण को मकान में घुसने दिया दिनांक 20.05.2025 की रात्रि को मोनिका जैन ने मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर प्रार्थीगण के रिहायश वाले हिस्से में जबरन घुसकर प्रार्थीगण का सारा सामान अलमारियो से बाहर निकालकर फेंकना शुरू कर दिया प्रार्थीगण की रसोई का सारा सामान बिखेर दिया तथा प्रार्थीगण को उनके कमरे में से जबरदस्ती धक्के देकर बाहर निकाल दिया और स्वयं प्रार्थीगण के कमरे में सो गई। प्रार्थीगण द्वारा इस संब्ध में पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा को सूचना देने पर भी रातभर प्रार्थीगण को संभालने कोई नहीं आया। प्रार्थीगण इस भीषण गर्मी में भी रातभर ड्राईग रूम में बैठे रहे जबकि मोनिका जैन प्रार्थीगण के कमरे में एसी चलाकर सोती रही। सुबह उठने पर उसने प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम यह मकान छोडकर यहां से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा जीना दूभर कर दूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते, मेरे माधोपुर वाले जीजाजी की बहुत जान पहचान है, तुम पुलिस में या कही भी चले जाओ तुम्हारी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। प्रार्थीगण दिनांक 21.05.2025 को स्वयं पुलिस थाना कुन्हाडी पर गये और न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.02.2025 की प्रतिलिपी संलग्न कर उक्त समस्त घटनाक्रम की लिखित में थाना कुन्हाडी पर दी गई परन्तु पुलिस थाना कुन्हाडी द्वारा आज दिनांक तक काई कार्यवाही नहीं करने की गई तथा उसके पश्चात भी उसके द्वारा निरन्तर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा, गाली गलौच व दर्वहार किये जाने व प्रार्थीगण को मकान से बेदखल करने पर आमादा होने तथा जान से मारने की धमकियां देने से प्रार्थीगण के जीवन पर गहरा संकट उत्पन्न हो जाने पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.05.2025 को पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को प्रार्थीगण को समुचित सुरक्षा प्रदान किये जाने एवं न्यायालय के निर्णय की पालना करवाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया इसके उपरांत भी पुलिस द्वारा आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुरक्षा के लिये अपने मकान में कैमरे लगवा रखे थे उनमें से उपर के पोरशन का कैमरा जो मोनिका जैन द्वारा पूर्व में ही तोड दिया गया था। मोनिका जैन द्वारा प्रार्थीगण के साथ निरन्तर किये जा रहे दुर्यवहार एवं गाली गलौच से स्वयं की सुरक्षा हेतु प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07.06.2025 को उक्त कैमरे को पुनः लगवाने के लिये कैमरे वाले को बुलाया तो मोनिका जैन ने प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं दुर्व्यवहार किया तथा कैमरे लगाने वाले को मकान के उपर चढ़ने नहीं दिया तथा लडाई झगड़ा व गाली गलौच कर उसे वहां से धमकाकर भगा दिया। इसके पश्चात प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका ने अपनी बहनो शैफाली, अन्तिमा व भाई दीपक को फोन करके वहां बुला लिया जिन्होंने दो घन्टे तक प्रार्थीगण को मकान में कैद करके रखा तथा बुरी बुरी गालियां और जान से मारने की धमकियां दी जिससे प्रार्थीगण दशहत में आ गये। प्रार्थीगण द्वारा उसकी लिखित में शिकायत दिनांक 09.06.2025 को पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा में दी गई परन्तु पुलिस द्वारा आज तक भी प्रार्थीगण की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीगण प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन द्वारा दी जा रही शारीरिक, मानसिक प्रताडना, दुव्यवहार, गाली गलौच एवं क्रूरतापूर्ण आचरण के कारण अपनी इस वृद्धावस्था

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

(7)

में असहाय होकर अपने ही घर में दशहत में जी रहे हैं। प्रार्थीगण का पुत्र प्रतिपक्षी संख्या 1 मयंक जैन मिर्गी का रोगी है जो अक्सर बीमार रहता है उसके साथ भी मोनिका जैन द्वारा आये दिन मारपीट और गाली गलौच की जाती है जिससे भयभीत होकर वह प्रार्थीगण के साथ प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा की जो रहा क्रूरता एवं प्रताडना का मूकदर्शक बना रहता है। पुलिस को इस संबंध में निरन्तर शिकायते करने के उपरांत भी पुलिस द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उनके हौंसले बुलन्द हैं। प्रार्थीगण अपनी वृद्धावस्था के चलते अपनी सुरक्षा करने में असहाय है। प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन और उसके घरवालो से प्रार्थीगण को जान का खतरा है यह लोग कभी भी प्रार्थीगण के साथ कोई भी वारदात कर सकते हैं। प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन को पूर्व में भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल नम्बर 53/2024 (GCMS NO- 2024/183) बउनवान चन्द्रप्रकाश जैन एवं मन्जूलता जैन बनाम मोनिका जैन के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2025 प्रार्थिगण के पक्ष में पारित करते हुये प्रतिपक्षी मोनिका जैन एवं थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा को प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करने, ना ही झूंठे मुकदमें में फंसाने और उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित नहीं करने तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था परन्तु उसके उपरांत भी प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन द्वारा उक्त निर्णय की निरन्तर अवलेहना करते हुये प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच, मारपीट एवं झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देकर प्रार्थीगण को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है इससे प्रार्थीगण के जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उपरोक्त परिपैक्ष्य में प्रार्थीगण जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीगण के निवास–मकान नं० 365 रिद्वी सिद्धी नगर प्रथम बून्दी रोड़ कुन्हाडी कोटा–राज० जिसमें प्रतिपक्षीगण का किसी भी रूप में कोई हक अथवा हिस्सा नहीं है तथा प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त मकान में मात्र प्रार्थीगण की सेवा सुश्रूष करने की शर्त पर निवासरत है को उपरोक्त कारणो एवं आधारो पर मकान से बेदखल किया जाना अति आवश्यक है। इसके अभाव में प्रार्थीगण के जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जायेगा। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने बड़े पुत्र मनीष जैन के मकान में शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी भय के सुरक्षित जीवन व्यतीत करे तथा विधि के द्वारा राज्य सरकार पर विधिक दायित्व अध्यारोपित किया है कि उनके सुरक्षित जीवन को सुनिश्चित करे तथा सुरक्षित जीवन जीने में कोई बाधा या अवरोध हो तो उसे हटाकर प्रार्थीगण की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के शांतिपर्ण, भयमुक्त, सम्मानपूर्वक एवं सुरक्षित जीवन यापन को सुरक्षित करने के लिये प्रतिपक्षीगण को प्रार्थीगण के निवास स्थान–मकान ने0 365 रिद्धी सिद्धी नगर प्रथम बून्दी रोड़ कुन्हाडी कोटा–राज० से बेदखल किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें तथा इस बाबत पुलिस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

थाना कुन्हाडी कोटा को तहरीर जारी कर प्रतिपक्षीगण को उक्त मकान से बेदखल करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी नं0 1 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु जवाब प्रस्ततु नही किया गया अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीया अप्रार्थी क्रम–1 की विवाहिता पत्नी हैं तथा विवाह के उपरान्त से उक्त मकान में बहैसियत पत्नी व बहू निवास करती आ रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया है कि "भले ही सम्पत्ति संसुराल वालों (सास–ससुर) के नाम हो, महिला को उस घर में रहने का पूरा अधिकार है, यदि वह उसका वैवाहिक घर (Matrimonial Home) है।" प्रार्थीगण व अप्राथी क्रम–1 द्वारा अप्रार्थीया क्रम–2 को विवाह के उपरान्त दहेज की मांग करते हुये निरन्तर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घरेलू हिंसा कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीया क्रम 2 द्वारा घरेलू हिंसा का एक प्रकरण सं० 2696/2025 माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, दक्षिण, कोटा में दर्ज करवाया गया है तथा अप्रार्थीया क्रम–2 द्वारा अपने व अपने नाबालिग पुत्र पुत्री के भरण पोषण हेतु एक अन्य प्रकरण सं० 1079/2025 न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश, क्रम–2, कोटा के समक्ष दर्ज करवाया गया है। अप्रार्थीया क्रम–2 द्वारा दर्ज करवाये गये उक्त प्रकरणों में अपना बचाव करने के दुराशय से प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा आपस में मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचते हुये यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम–1 द्वारा अप्राथीया क्रम–2 को विवाह के उपरान्त दहेज की मांग करते हुये निरन्तर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घरेलू हिंसा कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीया क्रम–2 द्वारा घरेलू हिंसा का एक प्रकरण सं0 2696/2025 माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, दक्षिण, कोटा में दर्ज करवाया गया है तथा आप्रार्थीया क्रम–2 द्वारा अपने व अपने नाबालिग पूत्र पुत्री के भरण पोषण हेतु एक अन्य प्रकरण सं० 1079/2025 न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश, क्रम 2, कोटा के समक्ष दर्ज करवाया गया है। अप्रार्थीया क्रम 2 द्वारा दर्ज करवाये गये उक्त प्रकरणों में अपना बचाव करने के दुराशय से प्रार्थीगण व अप्रार्थी क्रम 1 द्वरा आपस में मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र रचते हये यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अप्रार्थीया क्रम 2 अपने नाबालिग बच्चों के साथ उक्त मकान के प्रथम तल पर निवासरत है तथा अप्रार्थीया क्रम 2 को उक्त मकान में बतौर पत्नी व बहु निवास करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि उक्त मकान अप्रार्थीया क्रम–2 का मेट्रोमोनियल होम है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीया क्रम 2 को उक्त मकान से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त मकान प्रार्थीगण के नाम ही नहीं तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर निवास किया जा रहा है, जिसमें अप्रार्थीया क्रम–2 द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान एवं अवरोध उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नहीं किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाना अवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तृत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की ओर से फर्द दस्तावेज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 25.02.2025 की प्रति, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा का परिवाद दिनांक 23.05.2025 की प्रति, थाना अधिकारी कुन्हाडी के परिवाद की प्राप्ति रसीद दिनांक 09.06.2025 प्रस्तुत की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी नं0 2 के द्वारा प्रार्थीगण के साथ निरंतर लडाई झगडा एवं दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। प्रार्थीगण की सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल नही किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 मोनिका जैन को पूर्व में भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल नम्बर 53/2024 (GCMS NO- 2024/183) बउनवान चन्द्रप्रकाश जैन एवं मन्जूलता जैन बनाम मोनिका जैन के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2025 प्रार्थीगण के पक्ष में पारित करते हुये प्रतिपक्षी मोनिका जैन एवं थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा को प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करने, ना ही झूंठे मुकदमें में फंसाने और उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित नहीं करने तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था परन्तु उसके उपरांत भी प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन द्वारा उक्त निर्णय की निरन्तर अवलेहना करते हुये प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच, मारपीट एवं झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देकर प्रार्थीगण को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है इससे प्रार्थीगण के जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

अप्रार्थीया नं0 2 का यह कथन रहा है कि प्रार्थीगण व अप्राथी क्रम–1 द्वारा अप्रार्थीया क्रम 2 को विवाह के उपरान्त दहेज की मांग करते हुये निरन्तर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घरेलू हिंसा कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीया क्रम 2 द्वारा घरेलू हिंसा का एक प्रकरण सं० 2696/2025 माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 1, दक्षिण, कोटा में दर्ज करवाया गया है तथा अप्रार्थीया क्रम 2 द्वारा अपने व अपने नाबालिग पुत्र पुत्री के भरण पोषण हेतु एक अन्य प्रकरण सं० 1079/2025 न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश, क्रम 2, कोटा के समक्ष दर्ज करवाया गया है। परन्तु अप्रार्थीया नं0 2 की ओर से अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है।

प्रार्थीगण की ओर से दस्तावेजो/रिर्पोटो की प्रतियों के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे मिसल नम्बर 53/2024 (GCMS NO- 2024/183) बउनवान चन्द्रप्रकाश जैन

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

एवं मन्जूलता जैन बनाम मोनिका जैन प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.02.2025 प्रार्थीगण के पक्ष में पारित करते हुये प्रतिपक्षी मोनिका जैन एवं थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा को प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करने, ना ही झूंठे मुकदमें में फंसाने और उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित नहीं करने तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था परन्तु उसके उपरांत भी प्रतिपक्षी संख्या 2 मोनिका जैन द्वारा उक्त निर्णय की निरन्तर अवलेहना करते हुये प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच, मारपीट एवं झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देकर प्रार्थीगण को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है।

सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन एवं बहस पर मनन किये जाने के उपरांत प्रथम दृष्टया यह भी प्रमाणित है कि प्रार्थीगण के पुत्र एवं पुत्रवधु के मध्य संबंध मधुर नही है जिस कारण से घर में अशांति उत्पन्न होती है। जिस कारण से प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है एवं अप्रार्थीया नं0 2 द्वारा न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.02.2025 की पालना नही करके उक्त निर्णय की अवहेलना की जा रही है। अप्रार्थीया नं0 2 द्वारा प्रार्थीया को वृद्धावस्था में लडाई–झगडा, गाली गलौच एवं झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर शांतिपूर्वक जीवन से वंचित किया जा रहा है। प्रार्थीगण की सुरक्षा हेतु हम अप्रार्थीगण को उक्त मकान से बेदखल किया जाना न्यायोचित पाते है।

पुत्रवधु द्वारा वृद्धावस्था में सेवा सुषुश्रा, कर्तव्य पालन न करके प्रार्थीगण को प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थीगण त्रस्त है। अप्रार्थीगण एक ही मकान में रहते हुये निरंतर अवसाद–मानसिक अशांति करते रहते है। जिस कारण से प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को स्वीकार कर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे अन्दर 15 योम मकान 365 रिद्धी सिद्धी नगर प्रथम बून्दी रोड, कुन्हाडी कोटा को खाली कर देवें। उक्त आदेश की पालना नही करने की स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को आदेश की पालना हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाता है तथा दौरानें बेदखली कार्यवाही किसी प्रकार की शांतिभग ना हो इसलिये थानाधिकारी कुन्हाडी को आदेशित किया जाता हैं कि मय जाप्ता मौंके पर उपस्थित रहें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 18/5/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा